

सेवा में,

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राजकीय विभाग, बैंक लेखा केंद्रीय कार्यालय, सी-7, द्वितीय मंजिल, बांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी -7, पी बी नं.8143, बांद्रा पूर्वी, मुम्बई-51
2. सभी मुख्य प्रबंध निदेशक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
3. नोडल अधिकारी, आईसीआई/एचडीएफसी/एक्सिस/आईडीबीआई बैंक।
4. सभी प्रबंधक, सीपीसीसी।
5. सैन्य और वायु अटाचे, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल।
6. र.ले.प्र.नि. (पश्चिमी कमांड) चंडीगढ़।
7. र.ले.नि. (पें.संवि.), मेरठ।
8. र.ले.नि. चेन्नई।
9. कोषागार निदेशक, सभी राज्य।
10. वेतन एवं लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशासन, आर.के.पूरम्, तीस हजारी, नई दिल्ली।
11. वेतन एवं लेखा कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार मुम्बई।
12. पोस्ट मास्टर, कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर) कैंपबेल वे।
13. प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर।

विषय:- 2006 से पूर्व के सशस्त्र सैन्य अधिकारी एवं जूनियर कमिशन अधिकारियों/अन्य श्रेणियों के पेंशनरों के आकस्मिक पेंशनरी अवार्ड में संशोधन: स्पष्टीकरण।

संदर्भ:- इस कार्यालय के परिपत्र सं.569, दिनांक-19.10.2016

कई युद्ध सेवा निवृत्त संघ के बहुत से प्रतिनिधि ऐसे हैं जो एक रैंक एक पेंशन के अनुबंध में 7वें वेतन आयोग के संशोधन से संबंधित परिपत्र सं.569, दिनांक-19.10.2016 के पैरा-3 में उल्लिखित संशोधन के अनुसार अधिकतम लाभ की माँग कर रहे हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिपत्र सं.569, दिनांक-19.10.2016 के पैरा-3 के बारे में कुछ संदेह है जिसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

पूर्व के रक्षा मंत्रालय के पत्रांक-200847/Pen-C/71, दिनांक-24.02.1972 के संलग्नक सं.II में प्रावधान था कि युद्ध क्षति का सेवा अवयव पेंशन की राशि अशक्तता के समय के अधिकतम रैंक के लिए सामान्य सेवानिवृत्ति पेंशन रैंक के समान होगी। इसका तात्पर्य युद्ध क्षति का पेंशन अवयव पेंशन प्रतिबंधित विषय के रूप में अधिकतम अनुबंध अवधि के लिए देय था जो कि युद्ध क्षति पेंशन अंतिम वेतन निकासी से अधिक नहीं होना चाहिए। 6ठें वेतन आयोग से पहले 33 वर्ष की सेवा अर्हता के लिए वेटेज सहित सेवा अवयव/सेवा पेंशन अनुमान योग्य पारिश्रमिक का 50% दिया जाता था और इससे कम अवधि में आनुपातिक तौर पर कम कर दिया जाता था। कहना उचित होगा कि 6ठें वेतन आयोग के प्रावधान के मूल्यांकन के बाद समानुपातिक छूट छोड़ दिया गया है। छठे वेतन आयोग के आदेशों के अनुसार पेंशन सेवा अर्हता पर विचार किए बिना अंतिम वेतन निकासी का 50% होगा। इस प्रकार अनुबंध की अधिकतम अवधि की प्रासंगिकता अप्रचलित हो जाती है।

रक्षा मंत्रालय के दिनांक 11.11.2008 के पत्र (इस कार्यालय के परिपत्र सं397) के अनुसार, छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात् न्यूनतम प्रत्याभूति पेंशन प्रारंभ में न्यूनतम वेतन (पे बैंड + ग्रेड पे) के आधार पर निर्धारित किया गया था। रक्षा मंत्रालय के पत्रांक-1(04)/2015/(1)-D (Pen/Pol), दिनांक-03.09.2015 द्वारा 2006 के कमिशनड अफसर/जूनियर कमिशनड अफसर/अन्य श्रेणी के पेंशनरों के सेवा पेंशन/सेवा अवयव न्यूनतम उपकरण सारणी के आधार पर रैंक में संशोधित पे बैंड के अनुसार संशोधन किया गया था और उसी के अनुसार पी.बी.ओ.आर.एस.एवं कमिशन अफसरों के लिए परिपत्र सं.547 एवं 548 जारी किया गया था। उक्त न्यूनतम प्रत्याभूति पेंशन की गणना 33 वर्ष की अर्हता सेवा जिसमें भारांक सहित समानुपातिक छूट भी शामिल है, के लिए उपकरण सारणी का 50% की गयी थी।

रक्षा मंत्रालय के दिनांक 03.09.2015 के पत्र उक्त नियम में न्यूनतम प्रत्याभूति अशक्तता अवयव/युद्ध क्षति अवयव सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार रक्षा मंत्रालय का पत्रांक-6(01)/2014/D (Pen/Pol), दिनांक-18.05.2016 एवं परिपत्र सं.560, 2006 के पूर्व का सशस्त्र सैन्य अधिकारियों और जूनियर कमिशन अफसरों/अन्य श्रेणियों के संबंध में न्यूनतम प्रत्याभूति अशक्तता अवयव/युद्ध क्षति अवयव प्रदान करती है, के आकस्मिक पेंशनरी अवार्ड के लिए जारी किया गया था। युद्ध अशक्तता पेंशनर्स के पेंशन खंड से अधिकतम अनुबंध अवधि के मामले में जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग से पूर्व देय था को न्यूनतम प्रत्याभूति पेंशन के उपर्युक्त दोनों परिपत्रों में छोड़ दिया गया था। इस प्रकार इस मामले को स्पष्ट करना आवश्यक था, अतः परिपत्र सं.569, दिनांक-19.10.2016 में पैरा-3 डाला गया है। न्यूनतम प्रत्याभूति पेंशन के अधीन 33 वर्षों की अर्हता की विश्रुखलन हेतु पेंशन संशोधन के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक-1(2)/2016-D(Pen/Pol), दिनांक-30.09.2016 के बाद परिपत्र सं.569 के पैरा-3 को अनावश्यक बना दिया गया और इस प्रकार पैरा-3 को मिटा हुआ समझा जाये।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद तथा बाद में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में भी पेंशन का निर्धारण अर्हता सेवा पर बिना विचार किये ही अंतिम वेतन निकासी के 50% के आधार पर होगा। अतः कम से कम अर्हता सेवा के लिए समानुपातिक छूट की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है जैसाकि पूरा पेंशन प्रत्येक रैंक में प्रत्येक अर्हता सेवा के लिए देय है। इस प्रकार पेंशन अनुबंध अवधि तक हटा भी दिया गया है। आगे, पेंशन ओरोप के दर पर 2013 के सेवानिवृत्ति के डाटा के सीधा आधारित था जहाँ पेंशन छठे वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर दिया गया था। इस प्रकार अनुबंध अवधि तक पेंशन की माँग भी अप्रचलित हो जाता है।

अतः अनुरोध है कि मामले को उसी के अनुसार ही व्यवहार किया जाये तथा इसके माँग करने वाले पेंशनरों को उन्हीं पंक्तियों को कहते हुए स्पष्ट करना चाहिए कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के संशोधनों की भाँति युद्ध अशक्त पेंशनरों के पेंशन अनुबंध अवधि के मामले भी अप्रचलित हो जाता है

यह परिपत्र इस कार्यालय के वेबसाइट [www.pcdapension.nic.in](http://www.pcdapension.nic.in) पर अपलोड कर डिया गया है।

सुशील कुमार सिंह  
अपर रक्षा लेखा नियंत्रक (पें.)

सं.Gts/Tech/05/LXXX  
दिनांक-16.08.2018

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग- ए नई दिल्ली
3. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
4. डीपीए वायु भवन नई दिल्ली -11।
5. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी-3, पश्चिमी खण्ड-6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
6. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा-2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी-10।
7. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई -400039।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ़।

9. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड -5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली -66
10. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी ।
12. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-10 ।
13. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली ।
14. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स ।
15. नौसेना पेंशन कार्यालय द्वारा आई.एन.एस., सायन- ट्रॉम्बे रोड, मानखुर्द मुम्बई-400086
16. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी ।
17. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी./एम.पी. 8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड -3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-66
18. प्रभारी अधिकारी समस्त अभिलेख/ वेतन लेखा कार्यालय ।
19. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक ।
20. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी ।
21. प्रभारी अधिकारी जी-1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा- अन्य श्रेणी (तक.) व जी-1 सिविल(तक.) ।
22. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
23. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
25. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
26. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग ।
27. प्रभारी अधिकारी जी-2 अनुभाग
28. प्रभारी अधिकारी जी-3 अनुभाग
29. प्रभारी अधिकारी जी-4 अनुभाग
30. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
31. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष ।
32. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
33. रक्षा पेंशन लाइजन कक्ष ।
34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय ।
35. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद ।
36. अतिरिक्त प्रतियां ।

(ए.के.मालवीय)

वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)